

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2014/आश्विन 3, 1936

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 109

No. 125]

DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2014/ASVINA 3, 1936

[N.C.T.D. No. 109

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

आदेश

दिल्ली, 25 सितम्बर, 2014

सं.एफ.अति०एलसी/विविध (2)/12/श्रम/पार्ट फाइल/1938.— यह कार्यपालिक आदेश, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 के आदेश में तथा बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ तथा अन्य नामक रिट याचिका (आ०) 82/2009 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के अनुवर्ती आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है।

जबकि उपरोक्त आदेश के अनुसार दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घरेलू नौकरों को उपलब्ध कराने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन के लिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियोजित ऐसे घरेलू नौकरों के शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कार्यपालिक निदेश जारी करने के निदेश दिए गए हैं;

और जबकि उस पर अनुपालन में तथा यथाउल्लिखित निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी किए जाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :-**

(क) इन आदेशों को दिल्ली निजी प्लेसमेंट एजेंसी (विनियम) आदेश, 2014 कहा जाए।

(ख) यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घरेलू नौकरों को उपलब्ध कराने वाली समस्त निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर विस्तारित होगा, चाहे उनके कार्यालय/व्यवसाय का स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित हो या उसके बाहर स्थित हो।

(ग) यह आदेश दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं :-

- (i) "घरेलू नौकर" का अर्थ निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से घरेलू काम पर लगे व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा है और इसमें ऐसे रोजगार से संबंधी किसी भी नाम व पदनाम वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है, परन्तु इसमें निम्न सम्मिलित नहीं हैं:-
 - (क) कभी कभार घरेलू काम करने वाला व्यक्ति; तथा
 - (ख) किसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति।
- (ii) "निजी प्लेसमेंट एजेंसी" का अर्थ किसी व्यक्ति के आवास पर घरेलू नौकर उपलब्ध कराने के व्यवसाय में संलिप्त किसी सरकारी एजेंसी, विभाग या संगठन के अलावा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से है;
- (iii) "श्रम विभाग" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के श्रम विभाग से है;
- (iv) "आयोग" का अर्थ दिल्ली महिला आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली महिला आयोग से है;
- (v) समिति का अर्थ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 के अन्तर्गत गठित बाल कल्याण समिति से है।

3. पंजीकरण:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने का व्यवसाय कर रही निजी प्लेसमेंट एजेंसी के स्वामी/प्रोपराइटर/प्रबंध साझेदार/प्रबंध निदेशक को दिल्ली राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर दिल्ली दुकान एवं संस्थापना अधिनियम, 1954 अथवा राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियम तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत श्रम विभाग में अपना पंजीकरण कराना होगा, तत्पश्चात् इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी प्लेसमेंट एजेंसी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। पंजीकरण के इच्छुक आवेदक को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :-

- (क) निजी प्लेसमेंट एजेंसी का विवरण;
- (ख) एजेंसी के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों/घरेलू नौकरों की संख्या, उनका नाम, आयु और उनके पते;
- (ग) प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत किए गए वेतन का विवरण;
- (घ) नियोक्ताओं के पते;
- (ङ) रोजगार की अवधि;
- (च) कार्य का स्वरूप; तथा
- (छ) नियोक्ताओं से प्राप्त कमीशन का विवरण।

4. निजी प्लेसमेंट एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस :-

- (i) ऐसी निजी प्लेसमेंट एजेंसी के स्वामी/प्रोपराइटर/प्रबंध साझेदार/प्रबंध निदेशक को श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर, निर्धारित प्रपत्र में जहां उनका कार्यालय/व्यवसाय/संस्थापना स्थित है, उस जिले के उप-श्रम आयुक्त से ऐसी निजी प्लेसमेंट एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा और लाइसेंस में उल्लेख की गई ऐसी शर्तों को पूरा करना होगा।
- (ii) लाइसेंस के इच्छुक आवेदक को आवेदन के साथ दिल्ली दुकान एवं संस्थापना अधिनियम, 1954 अथवा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियम तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी और निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात् :-
 - (क) निजी प्लेसमेंट एजेंसी का विवरण;
 - (ख) एजेंसी के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों/घरेलू नौकरों की संख्या, उनका नाम, आयु और उनके पते;
 - (ग) प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियत किए गए वेतन का विवरण;
 - (घ) नियोक्ताओं के पते;
 - (ङ) रोजगार की अवधि;
 - (च) कार्य का स्वरूप; तथा
 - (छ) नियोक्ता से प्राप्त कमीशन का विवरण।
- (iii) उक्त दी गई जानकारी श्रम विभाग की वेबसाइट से अपलोड की जाएगी और सत्यापन और आवश्यक जानकारी लेने के लिये बाल कल्याण समितियां और दिल्ली महिला आयोग के साथ आदान-प्रदान की जाएगी।

5. घरेलू कामगार को पासबुक जारी करना

निजी प्लेसमेंट एजेंसी के स्वामी/मालिक/प्रबंध साझेदार एवं प्रबंध निदेशक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक घरेलू नौकर को जारी की गई पास बुक पर नौकर/नौकरानी की पासपोर्ट आकार की फोटो लगी हो। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी मालिक/स्वामी/साझेदार द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो और हिन्दी में निम्नलिखित दर्शाया हो, अर्थात् :-

- (क) घरेलू नौकर का नाम, आयु तथा पता;
- (ख) नियोक्ता का नाम और पता जिस घर/घरों पर घरेलू नौकर लगाया गया है;
- (ग) रोजगार की प्रस्तावित अवधि और कितनी बार;
- (घ) भुगतान की प्रस्तावित दर तथा अवधि, कोई भी मजदूरी अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी;
- (ङ) घरेलू नौकर के बैंक खाते का विवरण, जिसमें भुगतान किया जाएगा;
- (च) उक्त खंड (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि के व्यतीत होने पर घरेलू नौकर/नौकरानी को देय वापसी भाड़ा;
- (छ) घरेलू नौकर के नजदीकी रिस्तेदार का नाम और पता।

6. करार लिखित में होगा :-

निजी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियोक्ता द्वारा घरेलू नौकरानी/नौकर लगाने का करार लिखित में होगा।

- 7. अनुपालन न करने पर दंड :-** अनुपालन न करने की स्थिति में या इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने पर निजी प्लेसमेंट एजेंसी/इसके मालिक/स्वामी/साझेदार/ निदेशक पर 50,000 रुपये का दंड जिसे भूराजस्व की ऐरियर की तरह वसूला जाएगा और श्रम विभाग द्वारा ऐसी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र या लाइसेंस भी रद्द किया जा सकेगा। इस पर उसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कारोबार करने या चलाने की अनुमति नहीं होगी।

वैसी स्थिति में जबकि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस अथवा/और रजिस्ट्रेशन का पाया जाएगा और/अथवा उसने अपनी ऐजेंसी या अपने आपका रजिस्ट्रेशन इस आदेश के प्रावधानों के तहत नहीं करवाया होगा अथवा घरेलू कामगारों की सप्लाई बिना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के करता पाया गया, उस पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाई की जाएगी।

- 8. दिल्ली महिला आयोग तथा बाल कल्याण समिति के कर्तव्य :-** दिल्ली महिला आयोग तथा बाल कल्याण समिति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश से आधार पर निम्नलिखित कार्य करेंगे, अर्थात् :-

- (क) श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख की आयोग तथा समिति पूरी तरह जाँच करेंगे;
- (ख) आयोग तथा समिति उपलब्ध कराई गई जानकारी का सत्यापन करेंगे और जिन मामलों में अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, उन मामलों में उन्हें विधिवत् बुलाने के बाद निजी प्लेसमेंट एजेंसियों से और जानकारी मांगेगी। समिति, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित उपयुक्त मामलों तथा सूचना को सत्यापन करने के लिये स्वयं सेवी संगठनों के प्रबंधाधीन एक सेवा "चाइल्ड लाइन" की सेवाओं का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत होगी। आयोग उन अभिकरणों की पहचान करेगी, जो वयस्क महिलाओं के संबंध में सूचना सत्यापन करने के लिये उनकी मदद करेगी;
- (ग) आयोग और समिति घरेलू नौकरानी/नौकर द्वारा की गई या उसके अभिभावक द्वारा की गई या चाइल्ड लाइन सेवा का प्रबंध कर रहे स्वयंसेवी संगठनों, नियोक्ता या उपयुक्त मामलों में पुलिस के माध्यम से की गई शिकायतें स्वीकार करेंगे।
- (घ) आयोग और समिति 30 दिन की अवधि के भीतर शिकायतों का फैसला करेंगे।

- 9. दिल्ली महिला आयोग तथा बाल कल्याण समिति द्वारा का निर्णय :-** दिल्ली महिला आयोग तथा बाल कल्याण समिति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों के आधार पर निम्नलिखित शिकायतों का निर्णय करेंगे, अर्थात् :-

- (क) तय की गई मजदूरी जो श्रम विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, के रोकने पर;
- (ख) उत्पीड़न, जिसमें निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियोक्ता द्वारा उत्पीड़न किया जाना भी शामिल है;
- (ग) निजी प्लेसमेंट एजेंसी के स्वामी/स्टाफ द्वारा उनके परिसरों या कार्य स्थलों पर उनका उत्पीड़न तथा/दुरुपयोग;

- (घ) निश्चित शर्तों की अवहेलना;
- (ङ) वे घातक कार्य स्थितियां, जो बच्चे की शारीरिक क्षमता से अधिक हैं, उन मामलों में जिनमें 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं;
- (च) कार्य के अधिक घंटे; तथा
- (छ) मूलभूत सुविधाओं का अभाव जिनमें चिकित्सीय देखभाल और भोजन सहित।
10. **दिल्ली महिला आयोग तथा बाल कल्याण समिति की शक्तियां:**— दिल्ली महिला आयोग तथा बाल कल्याण समिति के पास माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निदेशों के आधार पर निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—
- (क) समिति और आयोग के पास घरेलू नौकर/नौकरानी या उसके अभिभावक या उसे काम पर रखने वाले किसी व्यक्ति की किसी शिकायत पर निजी प्लेसमेंट एजेंसियां या नियोक्ताओं को, जैसी भी स्थिति हो, बुलाने की शक्तियां होंगी;
- (ख) निश्चित शर्तों के अनुसार मजदूरी का जो श्रम विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, भुगतान करने का निदेश देना तथा उगयुक्त मामलों में अर्धदंड लगाना;
- (ग) कार्य के दौरान घरेलू नौकर/नौकरानी को गंभीर चोटें आने के मामलों में क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का निदेश देना;
- (घ) चिकित्सा सहायता हेतु निदेश देना;
- (ङ) निजी प्लेसमेंट एजेंसी का नियोक्ता के साथ हुए करार को अनुपालन कराने के लिये निदेश देना या उन मामलों में कमीशन लौटाना, जिनमें शर्तों का पालन नहीं हुआ;
- (च) निजी प्लेसमेंट एजेंसियों पर अर्धदंड लगाना, जिनमें यह पाया जाता है कि करार की शर्तों का पालन नहीं हुआ है।
- (छ) उस बाल/महिला को कानूनी सहायता देने का निदेश देना, जिसमें कोई दंडात्मक अपराध हुआ है;
- (ज) जिन मामलों में घरेलू नौकर 24 घंटे के भीतर गुम है, उन मामलों में स्थानीय पुलिस या समिति/आयोग को सूचित करने के लिये नियोक्ताओं को निदेश देना;
- (झ) जिन मामलों में किसी घरेलू कामगार/नौकरानी को उसकी इच्छाओं के विपरीत अपनी नौकरी छोड़ने के लिये किसी घर में रखा गया है और नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई कमीशन उसे लौटाने के लिये एजेंसी को निदेश देना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जितेन्द्र नारायण
सचिव एवं आयुक्त (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

ORDER

Delh, 25th SEPTEMBER, 2014

No. F Addl. LC/Misc(2)/12/Lab/ Part File/ 1938.—This executive order is issued in compliance of order dated 24th December, 2010 and subsequent order dated 18th December, 2013 of the Hon'ble High Court of Delhi in WP (Crl.) 82/2009 titled as Bachpan Bachao Andolan v. Union of India and others.

Whereas, the Hon'ble High Court of Delhi vide the above said order has, inter alia, directed the Govt. of National Capital Territory of Delhi to issue executive directions for the regulation of Private Placement Agencies providing domestic workers in the National Capital Territory of Delhi and to prevent the exploitation of such domestic workers employed through such private placement agencies in the National Capital Territory of Delhi;

And Whereas, in compliance thereof and to regulate the private placement agencies as aforesaid, the following order is issued by the Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title, extent and commencement:

- (a) This order may be called the Delhi Private Placement Agencies (Regulation) Order, 2014.
- (b) This order shall extend to all Private Placement Agencies providing domestic workers in the National Capital Territory of Delhi whether their office/ place of business is situated within the National Capital Territory of Delhi or outside thereof.
- (c) This order shall come into effect on the date of its notification in the Delhi Gazette.

2. Definitions:

- (i) "Domestic Worker" means a person of the age of 18 years or more engaged to do domestic work through a private placement agency and includes a person by whatever name and designated, within an employment relationship, but does not include:-
 - (a) a person who performs domestic work only sporadically; and
 - (b) a person employed through a contractor.
- (ii) "private placement agency" means a person or body of persons other than a government agency, department or organisation engaged in the business of providing domestic workers at the residence of a person;
- (iii) Labour department means the Labour department of the Govt. of NCT of Delhi
- (iv) Commission means the Delhi Commission for Women constituted under section 3 of the Delhi Commission for Women Act, 1994
- (v) Committee means the Child Welfare Committee constituted under section 29 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000

3. Registration:

The owner/ Proprietor/ Managing Partner/ Managing Director of a private placement agency providing domestic workers doing business in the National Capital Territory of Delhi shall register it with the Labour Department under the Delhi Shops & Establishment Act, 1954 or the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, within thirty days of the publication of this order in the Delhi Gazette whereupon a registration certificate will be issued to the Private Placement Agency under the said Act. The applicant seeking registration shall furnish following details such as, namely:-

- (a) Details of the private placement agency;
- (b) Number of persons/ domestic workers, who are employed through the agency, their names, age and their addresses;
- (c) Details of the salaries fixed for each person;
- (d) Addresses of the employers;
- (e) Period of employment;

3885 24/11/14-2

- (f) Nature of work; and
- (g) Details of the Commissions received from the employers.

4. License for running private placement agency-

(i) The owner/ Proprietor/ Managing Partner/ Managing Director of such private placement agency shall, within fifteen days of issuance of the registration certificate by the Labour Department, also apply and obtain a license to run such private placement agency, from the Deputy Labour Commissioner of the district where its office/ place of business/establishment is situated in the prescribed form and shall fulfil such conditions as stated in the license.

(ii) The applicant seeking license shall enclose a copy of the registration certificate issued by the Labour Department, Govt. of NCT of Delhi under the Delhi Shops & Establishment Act, 1954 or Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, with the application and shall also furnish following details such as, namely:-

- (a) Details of the private placement agency;
- (b) Number of persons/ domestic workers, who are employed through the agency, their names, age and their addresses;
- (c) Details of the salaries fixed for each person;
- (d) Addresses of the employers;
- (e) Period of employment;
- (f) Nature of work; and
- (g) Details of the Commissions received from the employers.

(iii) The above said information shall be uploaded on the website of the Labour Department and shall be shared with the Child Welfare Committees and Delhi Commission of Women for verification and seeking further necessary information.

5. Issuance of Passbook to domestic worker: The owner/ Proprietor/ Managing Partner/ Managing Director of the Private Placement Agency shall ensure that a pass book is issued to every domestic worker, affixed with a passport size photograph of the worker, duly attested by the Owner/ Proprietor/ Partner/ Director/ manager of the private placement agency and indicating the following in Hindi, namely:—

- (a) The name, age and address of the domestic worker;
- (b) The name of the employer and address and of the house/s where the domestic worker is employed;
- (c) The proposed period of employment and the periodicity;
- (d) The proposed rate and periodicity of payment, provided that no wage period shall exceed one month;
- (e) The details of Bank Account number of the domestic worker in which the payment shall be made;
- (f) The return fare payable to the domestic worker on the expiry of period specified in clause (ii) above:

Provided that no fare shall be payable if the period of actual employment is less than twelve months.

- (g) Name and address of the next of kin of the domestic worker.

6. Agreement to be in writing- Agreement for engagement of domestic worker by the employer through Private Placement Agency shall be in writing.

7. **Penalty for non compliance:** In the event of non-compliance or violation of any provision of this Order penalty of Rs. 50,000/- shall be imposed which shall be recovered as arrears of land revenue upon the Private Placement agency/ its Owner/ Proprietor / Partner/ Director and the Labour Department may further cancel the registration certificate or license of such private placement agency whereupon it shall not be allowed to carry on business or operate in the National Capital Territory of Delhi.

In case any person is found not in possession of licence and registration and/or has not got his agency or himself registered in terms of and/or under the provisions of this order or is found to supply domestic workers without licence or registration, the said person shall be prosecuted under relevant provisions of Law.

8. Duties of the Delhi Commission for Women and the Child Welfare Committee: The Delhi Commission for Women and Child Welfare Committee shall perform the following duties by virtue of the order of the Hon'ble High Court of Delhi, namely:-

- (a) The Commission and the Committee will go through the records provided by the Labour Department.
- (b) The Commission and the Committee will verify the information provided and in cases where information is found to be inadequate, seek further information from the private placement agencies after duly summoning them. The Committee shall be authorized to use the services of 'Childline', a service set up by the Ministry of Women and Child Development, Government of India and managed by NGOs to verify the information in appropriate cases. The Commission shall identify agencies who would assist them in verifying information with respect to adult women.
- (c) The Commission and the Committee shall entertain complaints made by the domestic worker herself/himself or through her/his guardian, NGOs managing childline services, the employer or the police in appropriate cases.
- (d) The Commission and the Committee shall decide the complaints made within a period of 30 days.

9. Adjudication of Complaints by the Delhi Commission for Women and the Child Welfare Committee: The Delhi Commission for Women and the Child Welfare Committee, shall adjudicate the following Complaints by virtue of the aforesaid directions of the Hon'ble High Court of Delhi, namely:-

- (a) Withholding of agreed wages not less than the Minimum Wages notified by the Labour Department, GNCT of Delhi from time to time
- (b) Harassment including harassment by employer at the hands of the private placement agencies;
- (c) Harassment and/abuse by private placement agency proprietor/staff at their premises or at work place;
- (d) Non-compliance of the agreed terms;
- (e) Abusive working conditions which is beyond the physical capacity of the child in cases where persons between the ages 14 and 18 are employed.
- (f) Long hours of work; and
- (g) Lack of basic facilities including medical care and food.

10. Powers of the Delhi Commission for Women and the Child Welfare Committee : The Delhi Commission for Women and Child Welfare Committee will have the following powers by virtue of the aforesaid directions of the Hon'ble High Court of Delhi, namely:-

- (a) The Committee and the Commission will have powers to summon the private placement agencies or the employers as the case may be on a complaint made by the domestic worker or her guardian or any person employing her;

- (b) Direct payment of wages not less than the Minimum Wages notified by the Labour Department, GNCT of Delhi from time to time as per agreed terms and in appropriate cases impose fines;
- (c) Direct payment of compensation in cases where severe injuries are caused to the domestic workers during the course of the work;
- (d) Direct medical assistance;
- (e) Direct the private placement agency to comply with the agreement with the employer or return the commission where the terms are not complied with;
- (f) Impose fines on the private placement agencies where it is found that terms of the agreement are not followed;
- (g) Direct legal aid to the child/ woman where a criminal offence has been committed;
- (h) Direct employers to inform the local police or the Committee/Commission in cases where the domestic worker is missing within 24 hours;
- (i) In cases where a domestic worker has been placed in a home against her wishes, enable her to leave her employment and direct the agency to return the commission paid by the employer back to the employer.

By Order and in the Name of the
I.A. Governor of National
Capital Territory of Delhi,

(Jitendra Narain)
Secretary-cum-Commissioner, (Labour)